*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–18/2015 06 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक–27/09/18

विषयः– पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा– पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु मौजा–पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर ISBT, पटना के कार्यान्वयन हेतु ₹220.51 करोड़ की योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक– 02.01.2014 को प्रदान की गयी। यह स्वीकृति हुडको से बैंक गारंटी के विरूद्ध ऋण प्राप्त कर बुडको द्वारा योजना का कार्यान्वयन करने हेतु प्रदान की गयी थी। तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या– 121, दिनांक– 17.01.2014 निर्गत किया गया। पुनः इसे संशोधित करते हुए ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार सरकार की गारन्टी के विरूद्ध हुडको से ऋण प्राप्त कर बुडको से कार्यान्वयन कराये जाने हेतु विभागीय संकल्प सं०– 8167, दिनांक– 08.11.2016 निर्गत किया गया।

2. स्वीकृति के पश्चात् बुडको द्वारा हुडको से ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा इसकी स्वीकृति हुडको द्वारा प्रदान भी की गई। हुडको द्वारा रखी गई शर्तों के अलावा Certificate of Commitment on Shortfall of revenue की माँग की जा रही है। चूँकि पूर्व में ही ऋण के भुगतान हेतु Government Guarantee की स्वीकृति दी जा चुकी है, ऐसी परिस्थिति में किसी अतिरिक्त शर्त पर Certificate of Commitment देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा था।

3. हुडको द्वारा प्रावधानित सभी शर्तों को मार्च, 2017 में ही पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु तीन महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी HUDCo द्वारा Loan की प्रथम किस्त की विमुक्ति नहीं की गयी, जबकि योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक का चयन कर उनके साथ एकरारनामा करते हुए कार्य भी प्रारम्भ हो गया था।

4. वर्णित स्थिति में पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प सं०– 6480, दिनांक– 24.10.2017 निर्गत किया गया, जिसमें यह निर्णय संसूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन

राज्य सरकार अपने निधि से करेगी। योजना की स्वीकृति ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) पर निम्नवत् प्रदान की गई :–

Sl. No.	Item	Amount (in Crore)
i	Tenderd Cost	275.21000
ii	Centage (as per new instruction given by finance deptt.)	6.95210
iii	Cost for Earth Filling	14.82000
iv	Cost for Boundry wall	5.36000
	Total Project Cost	**302.34210**

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 96, एवं आवंटनादेश सं०– 117, दिनांक–14.03.13 द्वारा ₹455.95459 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०– 220, एवं आवंटनादेश सं०– 221, दिनांक– 08.02.17 द्वारा ₹781.26 लाख तथा विभागीय राज्यादेश सं०– 124, एवं आवंटनादेश सं०– 125, दिनांक– 28.02.2018 ₹5000.00 लाख अर्थात् अबतक कुल ₹6237.21459 लाख बुडको को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त उपलब्ध राशि के व्ययोपरांत प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 1333, दिनांक– 26.04.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि ₹16438.44 लाख विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक– 7793, दिनांक– 05.09.2018 द्वारा समर्पित किया गया है।

6. उक्त अनुरोध एवं विभागीय संकल्प संख्या– 6480, दिनांक– 04.10.2017 तथा विभागीय राज्यादेश सं०– 62 दिनांक– 27/09/18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 के अनुसार निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	परियोजना की स्वीकृत राशि	अबतक कुल स्वीकृत/ आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि {4–(5+6)}
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ISBT, पटना का कार्यान्वयन	बुडको	30234.21	6237.21459	10000.00	13996.99541

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र।

7. आवंटित कुल ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम होंगे,** जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी तथा **राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।** तत्पश्चात् बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में ही किया जायेगा।**

8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

10. आवंटित कुल राशि ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उप शीर्ष–0109– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष– 0109.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

11. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 6480, दिनांक– 04.10.2017 के अनुसार किया जायेगा।

12. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

16. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

17. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

18. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–18/2013 06 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–27/09/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०–मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–18/2013 62 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-27/09/18

विषयः– पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा– पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु मौजा–पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर ISBT, पटना के कार्यान्वयन हेतु ₹220.51 करोड़ की योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक– 02.01.2014 को प्रदान की गयी। यह स्वीकृति हुडको से बैंक गारंटी के विरूद्ध ऋण प्राप्त कर बुडको द्वारा योजना का कार्यान्वयन करने हेतु प्रदान की गयी थी। तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या– 121, दिनांक– 17.01.2014 निर्गत किया गया। पुनः इसे संशोधित करते हुए ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार सरकार की गारन्टी के विरूद्ध हुडको से ऋण प्राप्त कर बुडको से कार्यान्वयन कराये जाने हेतु विभागीय संकल्प सं०– 8167, दिनांक– 08.11.2016 निर्गत किया गया।

2. स्वीकृति के पश्चात् बुडको द्वारा हुडको से ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा इसकी स्वीकृति हुडको द्वारा प्रदान भी की गई। हुडको द्वारा रखी गई शर्तों के अलावा Certificate of Commitment on Shortfall of revenue की माँग की जा रही है। चूँकि पूर्व में ही ऋण के भुगतान हेतु Government Guarantee की स्वीकृति दी जा चुकी है, ऐसी परिस्थिति में किसी अतिरिक्त शर्त पर Certificate of Commitment देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा था।

3. हुडको द्वारा प्रावधानित सभी शर्तों को मार्च, 2017 में ही पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु तीन महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी HUDCo द्वारा Loan की प्रथम किस्त की विमुक्ति नहीं की गयी, जबकि योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक का चयन कर उनके साथ एकरारनामा करते हुए कार्य भी प्रारम्भ हो गया था।

4. वर्णित स्थिति में पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प सं०– 6480, दिनांक– 24.10.2017 निर्गत किया गया, जिसमें यह निर्णय संसूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने निधि से करेगी। योजना की स्वीकृति ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) पर निम्नवत् प्रदान की गई :–

Sl. No.	Item	Amount (in Crore)
i	Tenderd Cost	275.21000
ii	Centage (as per new instruction given by finance deptt.)	6.95210
iii	Cost for Earth Filling	14.82000
iv	Cost for Boundry wall	5.36000
	Total Project Cost	**302.34210**

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 96, एवं आवंटनादेश सं०– 117, दिनांक–14.03.13 द्वारा ₹455.95459 लाख, विभागीय राज्यादेश सं०– 220, एवं आवंटनादेश सं०– 221, दिनांक– 08.02.17 द्वारा ₹781.26 लाख तथा विभागीय राज्यादेश सं०– 124, एवं आवंटनादेश सं०– 125, दिनांक– 28.02.2018 ₹5000.00 लाख अर्थात् अबतक कुल ₹6237.21459 लाख बुडको को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त उपलब्ध राशि के व्ययोपरांत प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 1333, दिनांक– 26.04.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि ₹16438.44 लाख विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक– 7793, दिनांक– 05.09.2018 द्वारा समर्पित किया गया है।

6. उक्त अनुरोध एवं विभागीय संकल्प संख्या– 6480, दिनांक– 04.10.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 के अनुसार निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	परियोजना की स्वीकृत राशि	अबतक कुल स्वीकृत/ आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि {4–(5+6)}
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ISBT, पटना का कार्यान्वयन	बुडको	30234.21	6237.21459	10000.00	13996.99541

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. स्वीकृत कुल ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम होंगे,** जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी तथा **राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा।** तत्पश्चात् बैंक ड्राफ्ट/चेक

के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में ही किया जायेगा।**

8. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

10. स्वीकृत कुल राशि ₹100.00 करोड़ (सौ करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उप शीर्ष–0109– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष– 0109.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

11. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 6480, दिनांक– 04.10.2017 के अनुसार किया जायेगा।

12. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

16. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

17. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

18. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/ना०सु०–03–18/2013 के पृष्ठ सं०–217/टि० पर दिनांक–26.9.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–218/टि० पर दिनांक–26.9.18 को प्राप्त है।

19. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–18/2013 62 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–27/09/18

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०–मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.09.18

सरकार के विशेष सचिव।